154

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

RS068-II/17

1- बेवा शारदा सिंह पत्नी स्व0 उमेश सिंह उम्र 45 साल, निवासी ग्राम बेला तहसील मनगवां, जिला रीवा

2- निधी सिंह पुत्री स्व0 उमेश सिंह
3- कृष्णा सिंह तनय स्व0 उमेश सिंह

दोनो की वली संरक्षिका माश्रीमती शारदा सिंह पत्नी स्व0 उमेश सिंह

निवासीगण ग्राम बेवा, तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0

— निगरानीकर्तागण

बनाम

श्रीमती लालमुनि सिंह पत्नी स्व0 श्री मकरन्द सिंह, निवासी ग्राम बेला, तह0 मनगवां, जिला रीवा म0प्र0 —गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तह0 मनगवां के राजस्व प्रकरण क्र0 60/अ-6/15-16 में पारित आदेश दि0 31-1-2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 सं0

माननीय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि अधी0 न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2:- यह कि प्रश्नाधीन जमीन निगरानीकर्ता 1 के पिता को स्वअर्जित सम्पत्ति थी उसे जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया था। वे अपने जीवनकाल तक काबिज दखील थे उनकी मृत्यु के बाद निगरानीकर्ता काबिज दखील है। यह अभिवचन गलत है कि गैर निगरानीकर्ता के कब्जे दखल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग.5068-दो/2017 **जिला-रीवा**

श्रीमती शारदा सिंह/ श्रीमती लालमुनि सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुशील शुक्ला उपस्थित। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-मनगवां, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक- 60/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 15-02-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 15/2/19
सदस्य